भाग III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें	14	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल सीहोर द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम खेरी से डोंगलापानी व्हाया डूंडालावा तक मार्ग निर्माण किये जाने हेतु परिक्षेत्र लाड़कुई के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 360, 363, 364, 365 की कुल 4.410 हे0 वनभूमि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी, जिला सीहोर को उपयोग पर देने के लिए , वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, व्यपवर्तन की अनुमति बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि 21.10.2022

स्थानः भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(राजेश कुमार खरे)

वनसंरक्षक,

भोपाल वृत्त भोपाल

21/10/22

I

कार्यालय वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 2249 **भोपाल, दिनांक** 27 **अक्टूबर 2022**

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल

विषयः– सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम खेरी से डोंगलापानी व्हाया डूंडालावा मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हेक्टर वनभूमि, कार्यपालन यंत्री (लोक निर्माण) विभाग संभाग बुधनी जिला सीहोर को उपयोग पर देने बावत्,
(ऑन लाईन प्रस्ताव क्र FP/MP/ROAD/149236/2021)

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर का पत्र क्रमांक/माचि/2314 दिनांक 17/10/2022

––00––

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर ने संदर्भित पत्र द्वारा सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम खेरी से डोंगलापानी व्हाया डूंडालावा तक मार्ग निर्माण हेतु , **परिक्षेत्र लाड़कुई के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 360, 363, 364, 365 की (6300 मीटर लंबाई तथा 7 मीटर चौड़ाई में) , कुल 4.410 हे0 वनभूमि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी, जिला सीहोर को उपयोग पर देने बावत्** , वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, निर्धारित प्रारूप भाग **II** की पूर्ति उपरांत, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार **व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कुल 357 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।**

उल्लेखनीय हैं कि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी जिला सीहोर द्वारा उपरोक्तानुसार **खेरी से डोंगलापानी मार्ग निर्माण (रकबा 4.410 हे0)** के अतिरक्त **ग्राम नयापुरा से सनकोटा** (रकबा 4.200 हे0) तथा **ग्राम सनकोटा से सिराड़ी (रकबा 4.580 हे0)** , मार्ग निर्माणार्थ **कुल 13.190 हे0 वनभमि व्यपवर्तन** हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत **तीन पृथक पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये** हैं। जिनके बदले में कलेक्टर जिला सीहोर द्वारा प्र.क्रं/0005/8–20(2)/2022–23 दिनांक 24/6/22 से ग्राम पचोर तहसील नसरूल्लागंज के खसरा क्रमांक 7, की भूमि में से **कुल 13.300 हे0 गैर वनभूमि** , वन विभाग को हस्तांतरित की गई हैं।

व.म.अ. द्वारा उक्त तीनो प्रकरणो के बदले में प्राप्त 13.300 हे0 गैर वनभूमि , पर वै0वृ0 रोपण हेतु राशि **रूपये 70,16,000/– की एकजाई 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना** तैयार कर, तकनीकी स्वीकृति हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई , जिसकी तकनीकी स्वीकृति, कार्यालयीन आदेश क्र/माचि/423 दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी की जा चुकी हैं, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल सीहोर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित दो** प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः–यथावर्णित।

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 **अक्टूबर 2022**

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 2250

प्रतिलिपिः–वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

2. **कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी, जिला सीहोर की** ओर सूचानार्थ।

वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

21/10/22

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2022.doc